मध्यप्रदेश शासन
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
मंत्रालय

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर, 2011

क्रमांक एफ–2–27/2011/छैः/1.–संक्षिप्त नियम (1) यह नियम मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के श्रीलंका के सीता मंदिर ,अशोक वाटिका तथा अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया यात्रा नियम, 2011 कहलायेंगे।

2. उद्देश्य (1) इस योजना का उद्देश्य श्रीलंका स्थित सीता मंदिर अशोक वाटिका तथा अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया की तीर्थ यात्राओं पर जाने वाले प्रदेश के यात्रियों को आर्थिक सहायता पहुंचाना है।

3 परिभाषा :– ''तीर्थ यात्रियों'' से अभिप्रेत है वे वे व्यक्ति जिन्होंने श्रीलंका स्थित सीता मंदिर, अशोक वाटिका तथा अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया की पूर्ण कर ली हो।

4. तीर्थ यात्रा जाने के लिये पात्रता– (1) श्रीलंका स्थित सीता मंदिर, अशोक वाटिका तथा अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया की तीर्थयात्रा पर जाने वाला व्यक्ति मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।

(2) प्रत्येक व्यक्ति को उसके जीवनकाल में केवल एक बार अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी।

5. तीर्थ यात्रा हेतु अनुदान राशि– (1) मध्यप्रदेश के मूल निवासी ऐसे व्यक्तियों, को जिन्हेंने श्रीलंका स्थित सीता मंदिर, अशोक वाटिका तथा अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया की यात्रा पूर्ण कर ली हो, यात्रा उपरान्त यात्रा पर हुए वास्तविक व्यय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा और ऐसी यात्रा पर हुए व्यय का 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति (अधिकतम रूपये 30,000/–) राज्य शासन द्वारा की जायेगी।

(2) अनुदान प्राप्त करने के लिये प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल को आवेदन करना होगा एवं पर्यटन विकास निगम अभिलेखों की जांच के पश्चात् अनुदान की राशि का भुगतान करेगा।

6. अनुदान का भुगतान– अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्तियों द्वारा तीर्थयात्रा उपरान्त अपने दावे निर्धारित प्रपत्र मे प्रमाणित अभिलेख सहित प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल को यात्रा समाप्ति के 60 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करना होंगे।

7. इस नियम के किसी भी उपखण्ड की व्याख्या के लिये प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के निर्देश अंतिम होंगे।

8. उक्त नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./–

(राजेन्द्र प्रसाद मिश्र)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग।

प्रपत्र

श्रीलंका सीता मंदिर अशोक वाटिका तथा अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया की तीर्थयात्रा हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिये आवेदन–पत्र :–

(1) यात्री का नाम

(2) पिता / पति का नाम

(3) व्यवसाय

(4) निवास स्थान का पूर्ण पता (दूरभाष क्रमांक यदि हो तो)

(5) यात्रा का दिनांक एवं पासपोर्ट की प्रतिलिपि

(6) श्रीलंका स्थित सीता मंदिर, अशोक वाटिका / अंकोरवाट मंदिर, कंबोडिया की यात्रा पूर्ण करने का प्रमाण –पत्र

(7) यात्रा पर हुए व्यय का विवरण

(8) श्रीलंका स्थित सीता मंदिर अशोक वाटिका / अंकोरवाट मंदिर, कंबोडिया की क्या प्रथम यात्रा है (हां / नहीं)

(9) पहचान–पत्र

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :
दिनांक :

मध्यप्रदेश शासन
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
मंत्रालय

संशोधन

भोपाल, दिनांक 31 मई 2016

क्र. एफ–3–23–2016–छः.–विभागीय आदेश क्रमांक एफ–2–27–2011–छः.–1 दिनांक 16 दिसम्बर 2011 से श्रीलंका स्थित सीता मंदिर, अशोक वाटिका तथा अंकोरवाट मंदिर, कबोडिया की तीर्थयात्राओं पर जाने हेतु श्रीलंका के सीता माता मंदिर, अशोक वाटिका तथा अंकोरवाट मंदिर कबोडिया यात्रा नियम, 2011 प्रसारित किए गए थे, जिसकी कंडिका 5(2) में अनुदान के संबंध में और कंडिका 6 के अनुदान के भुगतान के संबंध में निम्नानुसार निर्देश थेः–

कंडिका 5(2) –'' अनुदान प्राप्त करने के लिये प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल को आवेदन करना होगा एवं पर्यटन विकास निगम अभिलेखों की जांच के पश्चात् अनुदान राशि का भुगतान करेगा।''

कंडिका 6–'' अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्तियों द्वारा तीर्थयात्रा उपरान्त अपने दावे निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणित अभिलेख सहित प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल को यात्रा समाप्ति के 60 दिवस की समयावधि मे प्रस्तुत करेगा।''

पूर्व प्रसारित उक्त आदेश दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 के निगम की उपरोक्त कंडिका 5(2) एवं 6 को विलोपित करते हुए निम्नानुसार कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है :–

''अनुदान प्राप्त करने के लिये संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश को आवेदन करना होगा एवं कार्यालय कलेक्टर अभिलेखों की जांच के पश्चात् अनुदान की राशि का भुगतान करेगा. अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति उपरान्त अपने दावे निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणित अभिलेख सहित संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश की यात्रा समाप्ति के 60 दिवस की समयावधि मे प्रस्तुत करेगा।''

उक्त संशाधित नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होगें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(मनोज श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव.
मध्यप्रदेश शासन,
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

मध्यप्रदेश शासन
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
मंत्रालय

संशोधन

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

क्र. एफ–3–80–2016–छः.–विभागीय आदेश क्रमांक एफ–2–27–2011–छः–1 दिनांक 16 दिसम्बर 2011 से श्रीलंका स्थित सीता मंदिर, अशोक वाटिका तथा अंकोरवाट मंदिर, कंबोडिया की तीर्थयात्राओं पर जाने हेतु श्रीलंका के सीाता माता मंदिर, अशोक वाटिका तथा अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया यात्रा नियम, 2011 प्रसारित किए गए थे में एतद्द्वार संशोधन किया जाता हैं :

नियम 4(1) में 'श्रीलंका स्थित सीता मंदिर, अशोक वाटिका तथा अंकोरवाट मंदिर, कंबोडिया की तीर्थयात्रा पर जाने वाले व्यक्ति मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो' के पश्चात् निम्न शब्द जोड़े जाते है :

परन्तु वह आयकर दाता न हो।

शेष शर्तें पूर्व में जारी स्वीकृति क्रमांक एफ 2–27–2011–छः–1 दिनांक 16 दिसम्बर 2011 के अनुसार रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(मनोज श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव.
मध्यप्रदेश शासन,
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग।